संख्या-17/2015/202(1)/एक-चौदह-2015-10/2015

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, 96, महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-14 लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2015

विषय: जनपद-कन्नौज के ग्राम- जलालपुर बांगर बागात सारोतोप एवं बहसोरा को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं से पृथक किये जाने की अधिसूचना का गजट में प्रकाशित किया जाना

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना संख्या-202/एक-चौदह-2015-10/2015 दिनांक 20-08-2015 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इसे उत्तर प्रदेश के शासकीय साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए, प्रकाशित गजट अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव ।

संख्या-17/2015/202(2)/एक-चौदह-2015-10/2015तद्दिनांक

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-9, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-671/9-10पी/78 दिनांक 21 मई, 2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।
2- जिलाधिकारी/ अधिलेख अधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-14

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of notifcation no-202/1-14/2015-10/2015 dated Aug. 20 , 2015 for general information.

NOTIFICATION

No-202/1-14/2015-10/2015
Lucknow: Dated: Aug. 20 , 2015

In exercise of the powers under section 48 of the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act no III of 1901) the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the villages mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation vide Government Notification no. 1620/1-14-52(2)-90-9-90-rajaswa-14 dated August 31, 1994 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

District	Name of Tehsil	Name of Pargana	Name of Villages
Kannauj	kannauj	kannauj	jalalpur Bangar
kannauj	kannauj	kannauj	Bagat Saroo Top
kannauj	Tirwa	Tirwa	Bahsora

By order,

Suresh Chandra
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-14
संख्या-202/एक-14-2015-10/2015
लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2015

अधिसूचना

यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901(यू0पी0ऐक्ट संख्या-3, सन् 1901) की धारा-48 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या- 1620/1-14-94-52(2)-90-9-90 राजस्व-14 दिनांक 31 अगस्त, 1994 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से बन्द हो जायेंगी।

जनपद	**तहसील का नाम**	**परगना का नाम**	**ग्रामों के नाम**
कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	जलालपुर बांगर
कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	बागात सारोतोप
कन्नौज	तिर्वा	तिर्वा	बहसोरा

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।